फर्जी ताइक्वांडो प्रमाण पत्र बेचने वाले गिरोह का दलाल और सर्टिफिकेट सप्लायर गिरफ्तार

थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021-22 के खेल कोटे में धांधली करने वालों को एस.ओ.जी. ने दबोचा

-कार्यालय संवाददाता -

जयपुर। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा (लेवल-1) वर्ष 2021-22 में खेल कोटे के तहत फर्जी ताइक्वांडो प्रमाण पत्र लगाकर सरकारी नौकरी दिलाने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दस हजार रुपए के इनामी मुख्य दलाल कप्तान सिंह उर्फ गुर्जर कप्तान सिंह और उसके साथी विष्णु भाखरीवाल को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 11 जून 2026 तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में ताइक्वांडो खेल के 2 प्रतिशत आरक्षण का लाभ लेने के लिए फर्जी खेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए थे। इस मामले की जांच के दौरान दो वर्षों से फरार चल रहे 10 हजार रुपए के इनामी आरोपी कप्तान सिंह (22) निवासी सागरपुर, करौली को करौली जिले से गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई डीआईजी भुवन भूषण यादव के निर्देशन तथा ऑपरेशन्स विंग के प्रभारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में की गई।

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी कप्तान सिंह ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी

कप्तान सिंह उर्फ गुर्जर विष्णु भाखरीवाल

पाने वाले अभ्यर्थियों मनोज कुमार गुर्जर, हेमलता गुर्जर और सियाराम गुर्जर से प्रति व्यक्ति 40 हजार रुपए के हिसाब से कुल 1.20 लाख रुपए वसूले थे। इन तीनों अभ्यर्थियों को एसओजी पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है।

आरोपी ने खुलासा किया कि उसने अपने रिश्ते के जीजा मनोज कुमार गुर्जर के कहने पर फर्जी प्रमाण पत्रों की व्यवस्था की थी। इसके लिए उसने अपने दोस्त विष्णु भाखरीवाल (25) निवासी लालचंदपुरा, जयपुर से संपर्क किया और उसे 60 हजार रुपए ऑनलाइन व नकद भुगतान किए। विष्णु को एसओजी ने 9 जून को गिरफ्तार किया था।

जांच में सामने आया कि कप्तान सिंह और विष्णु भाखरीवाल की दोस्ती सेना भर्ती की तैयारी के दौरान निवारू रोड स्थित एक अकादमी में

- एसओजी ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 11 जून तक पुलिस रिमांड पर लिया है।
- पूछताछ में सामने आया कि आरोपी कप्तान सिंह ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों मनोज कुमार गुर्जर, हेमलता गुर्जर और सियाराम गुर्जर से प्रति व्यक्ति 40 हजार रुपए के हिसाब से कुल 1.20 लाख रुपए वसूले थे। इन तीनों अभ्यर्थियों को एसओजी पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है।

हुई थी। बाद में विष्णु ने निवारू रोड बाईपास स्थित मदर डेयरी स्कूल में ताइक्वांडो अकादमी संचालित करने वाले बालकंवर सैनी से संपर्क किया। बालकंवर सैनी ने 20 हजार रुपए लेकर "थर्ड भगवान महावीर ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप-2017" के खाली मुद्रित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए। बाद में इन प्रमाण पत्रों पर अभ्यर्थियों के नाम और श्रेणी भरकर उन्हें असली दर्शाने का प्रयास किया गया।

एसओजी जांच में सामने आया कि प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने वाला आरोपी बालकंवर सैनी वर्तमान में छेड़छाड़ और दुष्कर्म के एक अन्य मामले में पिछले 15 माह से जयपुर केंद्रीय कारागार में न्यायिक अभिरक्षा में बंद है। एसओजी उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ करेगी।जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि गिरोह ने ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, धनबाद के नाम से फर्जी ईमेल आईडी तैयार कर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को कूटरचित सत्यापन रिपोर्ट भेजी थी। इसी फर्जी सत्यापन के आधार पर अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी मिल गई।

एसओजी ने इस मामले में दर्ज प्रकरण में अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इनमें फर्जी ईमेल आईडी तैयार करने वाला बिमलेन्दु कुमार झा, उसका सहयोगी कमल सिंह, दलाल हितेश भादू, नारायण सिंह, रंगलाल रेगर, प्रद्युम्न गुर्जर तथा राजस्थान ताइक्वांडो एसोसिएशन के महासचिव दिनेश जगरवाल शामिल हैं।

एसओजी अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों, फर्जी प्रमाण पत्रों के नेटवर्क तथा भर्ती घोटाले से जुड़े अन्य मामलों की जांच में जुटी हुई है।

खनिज के मलबों से मिलेंगे निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम और गैलियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स

रक्षा, ग्रीन एनर्जी, एयरोस्पेस और एयरोनॉटिकल उद्योगों की आवश्यकता हो सकेगी पूरी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में क्रिटिकल मिनरल के एक्सप्लोरेशन और अध्ययन को नई गति प्रदान की जा रही है। हाल ही में प्रदेश में पिंक मार्बल और हरे मार्बल के मलबों के ढेर (अपशिष्ट) के अध्ययन में निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम और गैलियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की गुणवत्तापूर्ण मात्रा के सकारात्मक संकेत मिले हैं। इन मिनरल्स से रक्षा, ग्रीन एनर्जी, एयरोस्पेस और एयरोनॉटिकल उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ सामरिक और आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी।

मुख्यमंत्री की पहल पर खान विभाग के आरएसएमईटी और आईआईटी धनबाद के बीच राजस्थान के खनिज डम्प्स के संबंध में एक समझौता संपन्न हुआ है। इस समझौते के अनुरूप प्रदेश में खनिजों के विशाल ढेरों (ह्यूज डम्प्स ऑफ मिनरल्स), जिनका कोई उपयोग भी नहीं है, में उपलब्ध बेशकीमती क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक खनिजों का पुनर्चक्रण कर इसे व्यावसायिक उत्पादन में उपयोग करने के लिए अध्ययन किया जा रहा है। यह अध्ययन अभिनव प्रयास है।

इस समझौते के अंतर्गत खान विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 78 डम्प्स चिन्हित कर 10-10 डम्प्स का कलस्टर बनाया गया। इनमें से उदयपुर जिले और आसपास के कलस्टर में पिंक मार्बल के 8 डम्प्स और ग्रीन मार्बल (सर्पेंटिनाइट) के 2 डम्प्स का अध्ययन किया गया । इन

- देश-प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ सामरिक और आर्थिक सुरक्षा होगी मजबूत
- प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर शुरू किया गया "नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन" राजस्थान में तेजी से अग्रसर
- आरएसएमईटी और आईआईटी धनबाद के बीच हुआ करार, मलबे से निकले खनिजों का हो सकेगा व्यावसायिक उत्पादन

डम्प्स में निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम और गैलियम की बड़ी मात्रा पाई गई है। आरंभिक अनुमान के अनुसार यह मात्रा पृथ्वी की पपडी (क्रस्ट) में इनकी सामान्य उपलब्धता से 25 से 40 गुना अधिक है।

खान विभाग द्वारा चिन्हित 78 डम्प्स में से शेष 68 डम्प्स और टेलिंग्स का भी वैज्ञानिक मूल्यांकन आईआईटी आईएसएम धनबाद के सहयोग से किया जा रहा है। जिसमें खदान डम्प्स का जियो रेफरेन्सड डेटाबेस, मेपिंग, सैंपलिंग, निष्कर्षण, मिनरालॉजिकल एनालिसिस व उपलब्ध संसाधनों का आकलन करते हुए टंगस्टन, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, आरईई के रिसोर्सेज जैसे महत्वपूर्ण खनिज की उपलब्धता का पता लगाया जा सकेगा। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर, ऋषभदेव, अजमेर, ब्यावर, सावर, नागौर, सिरोही, जोधपुर, बालेसर, सोजत सिटी और जालौर में अलग-अलग खनिजों के ढेर चिन्हित किये जा चुके हैं। हाल ही में अतिरिक्त मुख्य सचिव खान और पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा से आईआईटी धनबाद के प्रो. धीरज कुमार, आईआईटी आईएसएम के एमेरिट्स प्रो. एएस वेंकटेश, टेक्समिन के दानिश और ऑपरेशन्स मैनेजमेंट आईआईटी दिल्ली के विक्रम केवाई ने मुलाकात कर डम्प्स में क्रिटिकल मिनरल्स की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता की संभावना व्यक्त की।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन और खनन पर विशेष फोकस है। इसी क्रम में उन्होंने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की घोषणा की जिसके अंतर्गत रेयर अर्थ मिनरल्स, हेवी रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल रेयर मेटल्स पर तेजी से काम किया जा रहा है। राजस्थान ने इस दिशा में नवाचार करते हुए खनिजों के डम्प्स से क्रिटिकल मिनरल का एक्सप्लोरेशन का काम शुरु किया है। वहीं, प्रदेश ने रेयर अर्थ मिनरल्स और हेवी रेयर अर्थ मिनरल्स क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में क्रिटिकल व स्ट्रेटेजिक मिनरल्स आरईई के डिपोजिट्स मिले हैं जिनका केंद्र सरकार द्वारा खनिज ब्लॉकों का ऑक्शन भी किया जा रहा है।

हाईकोर्ट से रीको को मिली बड़ी जीत

बोरानाड़ा, जोधपुर में उद्योगों को मिलेगी भूमि, निवेश-रोजगार के अवसर सृजित होंगे

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) द्वारा जोधपुर के बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण को वैध ठहराया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा एवं न्यायाधीश चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार और रीको की विशेष अपीलें स्वीकार करते हुए 8 सितंबर 2017 को एकल पीठ की ओर से दिए गए उस फैसले को निरस्त कर दिया, जिसमें 33 याचिकाएं स्वीकार कर अधिग्रहण प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिकारी की ओर से भूमि स्वामियों की आपत्तियों पर विधिसम्मत विचार किया गया था तथा सुनवाई का अवसर भी दिया गया था।

कोर्ट ने माना कि एकल पीठ ने तकनीकी आधारों पर अत्यधिक हस्तक्षेप किया और संपूर्ण अधिग्रहण प्रक्रिया को समग्रता में देखने के बजाय अलग पहलुओं पर निर्णय दिया। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण जैसे मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया तक सीमित है।

उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा दिये गये इस निर्णय से पूर्व में अवाप्त की गई भूमि में से यथास्थिति के कारण शेष रही 1700 बीघा भूमि पर भी अब रीको द्वारा औद्योगिक विकास हेतु कार्य योजना बनाकर कार्यवाही की जा सकेगी। बोरानाडा में हो रहे औद्योगिक विकास की दृष्टि से इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उक्त भूमि के पास ही पूर्व में ही रीको द्वारा बोरानाडा में बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र, एग्रो फूड पार्क, ई.पी.आई.पी. एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1500 औद्योगिक इकाइयां कार्यरत है।

तत्पश्चात् इसी आवाप्तशुदा भूमि में से कुछ भू-भाग पर रीको द्वारा हाल ही में नये औद्योगिक क्षेत्रों मेडिकल डिवाईस पार्क, हैण्डीक्राफ्ट एवं फर्नीचर पार्क तथा सामान्य श्रेणी के इकाइयों के लिये कार्ययोजना बनाकर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये जिसे राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राईजिंग राजस्थान के तहत औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से एमओयू धारकों के लिये रीको द्वारा विशेष प्रत्यक्ष आवंटन योजना लागू की गई थी, जिसमें इन नये औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकाधिक रूझान देखने को मिला है। इस रूझान को देखते हुये उक्त शेष भूमि 1700 बीघा पर भी औद्योगिक निवेश आने से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। रीको प्रशासन का कहना है कि जल्द से जल्द इस भू-भाग पर विकास कार्यों को प्रारम्भ करने तथा भूखण्डों के शीघ्र आवंटन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

पुलिस कमिश्नर कल करेंगे जनसुनवाई

जयपुर । आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय कायम रखने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल 13 जून (शनिवार) को दोपहर 11.30 से 01.30 बजे तक पुलिस थाना मालवीय नगर पर जनसुनवाई करेंगे। इस दौरान मालवीय नगर सर्किल के मालवीय नगर, एयरपोर्ट, जवाहर सर्किल, खो नागोरियान एवं बजाज नगर थानों के परिवादियों की जनसुनवाई की जावेगी। जनसुनवाई का उद्देश्य संबंधित क्षेत्र के परिवादियों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करते हुए आमजन को राहत पहुँचाना है। गौरतलब है कि इससे पूर्व पुलिस कमिश्नर द्वारा झोटवाड़ा, सांगानेर, पुलिस थाना शिप्रापथ, विद्याधर नगर, भांकरोटा, शिवदासपुरा, आमेर, रामगंज,चित्रकूट एवं बस्सी थाने में जनसुनवाई कर परिवादियों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया जा चुका है।

देवनानी और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की शिष्टाचार भेंट

जयपुर । विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शिमला स्थित लोकभवन में आज बुधवार को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर स्पीकर देवनानी ने राज्यपाल गुप्ता को राजस्थान विधानसभा का स्मृति-चिह्न एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। दोनों गणमान्य जनों के मध्य आत्मीय वातावरण में विभिन्न समसामयिक विषयों, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।

राज्यपाल गुप्ता ने राजस्थान विधानसभा द्वारा संसदीय परंपराओं को सुदृढ़ करने तथा जनप्रतिनिधियों की सकारात्मक भूमिका को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा और जनविश्वास को बनाए रखने में विधानसभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। देवनानी ने राजस्थान विधानसभा की विभिन्न गतिविधियों एवं जनजागरूकता से जुड़े नवाचारों की जानकारी साझा की। इस दौरान सुशासन, पारदर्शिता, संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका तथा राष्ट्र निर्माण में जनप्रतिनिधियों के दायित्वों पर भी विचार-विमर्श हुआ।भेंट के दौरान दोनों गणमान्य जनों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को और अधिक प्रभावी, उत्तरदायी एवं जनोन्मुखी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

नाबालिग से बलात्कार के दोषी शिक्षक और उसके सहयोगी को 20 साल कारावास की सजा

जयपुर । जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग पीडिता को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अफजल खान को बीस साल की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने मामले में सहयोगी रहे अभियुक्त रामस्वरूप को भी बीस साल की कैद सुनाई है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि यौन अपराध बच्चे के मानस पर गहरा असर डालता है। जिससे उसे जीवन भर मानसिक पीडा और अवसाद होता है। ऐसे में अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

मामले में नियुक्त विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावत ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीडिता के पिता ने 2 जनवरी, 2024 को जोबनेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी पन्द्रह साल की बेटी रात करीब 11 बजे बिना बताए कहीं चली गई है। उसे आसपास और रिश्तेदारों के तलाश किया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। रिपोर्ट में अफजल खान पर शक जाहिर करते हुए कहा गया कि वह उसे अपने साथ बहला फुसलाकर ले जा सकता है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीडिता को हरियाणा के सिरसा से बरामद किया और मुख्य अभियुक्त अफजल और सहयोगी रामस्वरूप को गिरफ्तार किया। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि अभियुक्त अफजल निजी स्कूल में शिक्षक था और पीडिता को पढाता था। वहीं दूसरे अभियुक्त ने अपराध में उसका सहयोग किया है।

एवलोन रॉयल पार्क आवासीय प्रोजेक्ट के खातों की फॉरेंसिक ऑडिट के आदेश

रेरा अध्यक्ष ने भिवाडी स्थित इस आवासीय परियोजना में वित्तीय अनियमितताओं और गंभीर विसंगतियों को देखते हुए आदेश दिए

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भिवाडी स्थित एवलोन रॉयल पार्क आवासीय परियोजना में वित्तीय अनियमितताओं और गंभीर विसंगतियों को देखते हुए परियोजना के खातों की फॉरेंसिक ऑडिट कराने के आदेश दे दिए हैं। रेरा अध्यक्ष वीनू गुप्ता ने अपने आदेश में कहा कि परियोजना की लागत, प्राप्त राशि, खर्च और निर्माण की वास्तविक स्थिति के रिकॉर्ड में गंभीर विरोधाभास पाए गए हैं। ऐसे में इनकी स्वतंत्र फॉरेंसिक जांच की जरूरत है।

रेरा ने यह आदेश एवलोन रॉयल पार्क होम बायर्स एसोसिएशन की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर दिए। एसोसिएशन के अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने बताया कि मैसर्स जीआरजे डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डेवलपर्स प्रा. लि. की ओर से साल 2012 में आरंभ की गई इस परियोजना में 1000 से अधिक फ्लैट बनाने का दावा किया गया था। बिल्डर ने वर्ष 2012 से 2016 के बीच आवंटियों से लगभग 300 करोड़ रुपये जमा किए और बैंक से 30 करोड़ रुपये का लोन भी लिया। आवंटियों का आरोप है कि प्रत्येक फ्लैट के लिए औसतन 90 प्रतिशत से अधिक राशि वसूल कर ली गई, लेकिन 22 टावर्स में से केवल 5 टावर्स का ही निर्माण पूरा किया गया है। वहीं साल 2020 के बाद से परियोजना में कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है।

आवंटियों का आरोप है कि बिल्डर और भूमि मालिक ने उनके साथ धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपये का गबन किया है। जिस पर सुनवाई करते हुए रेरा ने माना कि दिवालिया कार्यवाही के दौरान भी प्राधिकरण को परियोजना की वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने का अधिकार है। इसके साथ ही प्राधिकरण ने रेरा रजिस्ट्रार को निर्देश दिए गए हैं कि दो माह के अंदर स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त कर फॉरेंसिक ऑडिट पूरा कराए।

राहगीरों से मोबाइल छीनने वाला दबोचा

जयपुर। श्याम नगर थाना पुलिस और जिला विशेष टीम (डीएसटी) ने कार्रवाई करते हुए राहगीरों से मोबाइल छीनने वाले एक शातिर मोबाइल स्नैचर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन तथा वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आरोपी के खिलाफ पहले से विभिन्न थानों में आठ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल आरोपित से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) राजर्षि राज ने बताया कि श्याम नगर थाना पुलिस और डीएसटी ने कार्रवाई करते हुए राहगीरों से मोबाइल छीनने वाले एक शातिर मोबाइल स्नैचर आकाश मेहरा (21) निवासी कोतवाली जिला टोंक हाल मुहाना को गिरफ्तार किया है। श्याम नगर थानाधिकारी दलबीर सिंह ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि आकाश मेहरा आदतन अपराधी है।

1359 करोड़ रुपये की एनएच-62 फोरलेन परियोजना को मंजूरी

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में सड़क तंत्र का तेजी से सुदृढ़ीकरण हो रहा है। इसी दिशा में उनके प्रयासों से केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नागौर-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-62) के फोरलेन निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना को लगभग 1359.33 करोड़ रुपये की लागत से बीओटी (टोल) मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इससे पश्चिमी राजस्थान की कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलने के साथ ही निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही, औद्योगिक एवं पर्यटन गतिविधियों को भी गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने नागौर-बीकानेर फोरलेन परियोजना को स्वीकृति मिलने पर कहा कि डबल इंजन सरकार के विजन और सशक्त नेतृत्व में राजस्थान में आधारभूत संरचनाओं के विकास को निरंतर बढ़ावा

- नागौर-बीकानेर फोरलेन मार्ग से विकास को मिलेगा नया आयाम
- सुगम कनेक्टिविटी से निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, उद्योग-पर्यटन को गति मिलेगी

मिल रहा है। साथ ही, आधुनिक, सुरक्षित और सुगम सड़क नेटवर्क का प्रदेश में विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से नागौर और बीकानेर सहित नजदीकी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को नई ऊर्जा मिलेगी। साथ ही, यह परियोजना विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 4399 दिन पूर्ण होने पर भाजपा नेताओं ने की विशेष पूजा-अर्चना

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर में तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने झारखंड महादेव मंदिर की पूजा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4399 दिन का कार्यकाल पूर्ण होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने झारखंड महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना की।

जयपुर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम पद पर 4399 दिन पूर्ण होने के अवसर पर भाजपा द्वारा प्रदेशभर में विशेष पूजा-अर्चना कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जयपुर स्थित झारखंड महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं निरंतर जनसेवा की कामना की।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूजन के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं।

रेलवे के सुदृढ़ीकरण गरीबों के लिए आवास, रोजगार सृजन, पेयजल एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, किसानों की समृद्धि, सेना के आधुनिकीकरण तथा विश्व पटल पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने जैसे अनेक ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुए हैं। झारखंड महादेव मंदिर में आयोजित पूजा-अर्चना कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी, प्रदेश मंत्री डॉ. अपूर्वा सिंह तथा भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मोती डूंगरी गणेश मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और निरंतर जनसेवा की कामना की। पूजा-अर्चना के उपरांत मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। इस अवसर पर भाजपा महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, राज्यसभा प्रत्याशी डॉ. अलका गुर्जर, भाजपा कार्यालय सचिव मुकेश पारीक, विधायक कालीचरण सराफ सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे।

भाजपा संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने जयपुर स्थित गोविंद देवजी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, वित्त आयोग अध्यक्ष डॉ अरुण चतुर्वेदी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल, विधायक बालमुकुंदाचार्य तथा जिला अध्यक्ष अमित गोयल सहित अनेक नेताओं ने पूजा-अर्चना कर प्रधानमंत्री के स्वस्थ एवं सफल नेतृत्व की कामना की।

नाबालिगों की बरामदगी नहीं होने पर हाईकोर्ट सख्त

अजमेर पुलिस अधीक्षक और चौमूं थानाधिकारी को तलब किया

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग किशोरियों की बरामदगी नहीं होने के दो अलग-अलग मामलों में अजमेर एसपी और चौमूं थानाधिकारी को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। अदालत ने एसपी को 23 जून को पेश होकर बताने को कहा है कि मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई। वहीं अदालत ने लापता की बरामदगी नहीं होने पर चौमूं थानाधिकारी को 22 जून को हाजिर होने को कहा है। अदालत ने कहा है कि मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर थानाधिकारी का शपथ पत्र पेश कर बताए कि लापता की बरामदगी करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। जस्टिस उमाशंकर व्यास और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश लापताओं की मां पुष्पा व सुनीता की ओर से दायर अलग-अलग बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

पुष्पा की ओर से अधिवक्ता एएस शेखावत ने याचिका दायर कर कहा कि उसने अपने 19 साल की दिव्यांग बेटी की गुमशुदगी को लेकर 7 अगस्त, 2025 को अजमेर के क्लॉक टावर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मामले में पड़ोसी पर शक जताया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर अदालत ने आश्चर्य जताया की दिव्यांग किशोरी होने से जुडे अपराध में एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। इसके साथ ही अदालत ने मामले में एसपी को तलब किया है। जबकि दूसरे मामले में सुनीता कुमावत ने 3 नवंबर, 2025 को चौमू थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को संबंधित व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया है।